श्री संदीप सौरभ, माननीय स०वि०स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना :–

''पटना जिला अंतर्गत पालीगंज विधानसभा क्षेत्र समेत आसपास के इलाके में सोन नदी से बालू खनन में नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। जहाँ अधिकतम तीन मीटर तक खनन की अनुमति है, वहाँ 30–40 मीटर तक अवैध खुदाई की जा रही है। इसके कारण सोन नदी का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो रहा है, लगातार गंभीर दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तथा पूरे क्षेत्र का भू–जल स्तर तेजी से गिर रहा है। अवैध बालू खनन, परिवहन तथा दर्जनों धर्मकांटा के संचालन के कारण कनपा– महाबलीपुर सड़क के दोनों ओर बालू व धूल जमा होने से भीषण प्रदूषण फैल रहा है और सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ गई हैं, जिससे आम जनता का आवागमन अत्यंत जोखिमपूर्ण हो गया है।

बालू खनन से प्राप्त राजस्व का 02 प्रतिशत जिला खनन फाउंडेशन (DMF) को दिए जाने के प्रावधान के बावजूद उक्त खनन प्रभावित गाँवों में इस राशि से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।

अतः उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु ठोस कार्रवाई करने तथा DMF की 02 प्रतिशत राशि को पारदर्शी नीति के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास में खर्च करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।''

माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण का उत्तर प्रतिवेदन–

समाहर्त्ता, पटना का पत्रांक 1752 दिनांक 10.07.2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि पटना जिलान्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०– 3661–3662/2020 में दिनांक–10.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में वैज्ञानिक तरीके से जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर SEIAA, बिहार से अनुमोदन कराया गया है। अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सोन नदी में कुल 25 बालूघाट सृजित किए है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुमण्डल स्तरीय समिति द्वारा वैज्ञानिक तरीके से जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कराई गई है, जिसमें EMGSM-2020, SSMMG-2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। साथ हीं जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सृजित बालूघाटों में खनन योग्य मात्रा की गणना वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। जहाँ–जहाँ बालू का पर्याप्त निक्षेप उपलब्ध है, उसी स्थान पर बालूघाट का सृजन किया गया है। बालूघाटों के पर्यावरणीय स्वीकृति के क्रम में स्थानीय लोगो से सहमति हेतु लोक सुनवाई कराई गई है, जिसके उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की गई है।

इसी क्रम में पालीगंज विधानसभा अंतर्गत जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में कुल 10 बालूघाटों का सृजन किया गया है, जिसमें कुल 06 बालूघाटों की बंदोबस्ती ई–नीलामी के माध्यम से की गई है। वर्तमान में माननीय NGT के दिशा–निर्देश के अनुसार मानसून अवधि में बालूघाट का संचालन बंद है। संचालित बालूघाटों में नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए नियमों के अनुसार खनन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी रखी जाती है। बालूघाटों में पर्यावरणीय स्वीकृति में अनुज्ञेय गहराई तक ही खनन कार्य किया जाता है। पर्यावरणीय

स्वीकृति, खनन योजना तथा बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण, निवारण) नियमावली, 2019 यथासंशोधित 2026 के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड अधिरोपित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में पटना, सोन बालूघाट सं0–01, 03 एवं 9A द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कारण बन्दोबस्तधारी के विरुद्ध 51,80,220/–रूपये दण्ड अधिरोपित किया गया है। बालूघाटों से बालू का खनन वर्तमान में बन्द होने की स्थिति में बन्दोबस्तधारी द्वारा सेकेण्ड्री लोडिंग स्थल से बालू का नियमानुसार प्रेषण किया जा रहा है।

बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु नियमित रूप से वाहनों की जाँच एवं छापेमारी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में माह जून 2026 तक कुल छापेमारी–421, प्राथमिकी–67, गिरफ्तारी–32, जप्ती–131 करते हुए रू0 80.50 लाख की वसूली की गई है।

पालीगंज थानान्तर्गत भेरहरिया इंग्लिश में जय बजरंगबली धर्मकाँटा पर छापेमारी करते हुए अवैध रूप से भण्डारित बालू को जप्त करते हुए पालीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड सं0–293/26, दिनांक 01.06.2026 है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 876, दिनांक 27.02.2026 द्वारा तीन धर्मकाँटा 1. माँ विन्ध्यवासिनी धर्मकाँटा डिहरी, 2. विष्णु धर्मकाँटा सिकरिया एवं 3. तिरुपति बाला जी धर्मकाँटा सिकरिया का अनुज्ञप्ति रद्द का अनुशंसा किया गया है।

पटना जिलान्तर्गत खनन प्रभावित क्षेत्रों में जिला खनिज फाउण्डेशन, पटना निधि से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें कुल ₹5,07,73,250/–(रूपये पाँच करोड़ सात लाख तिहत्तर हजार दो सौ पचास) व्यय हुआ है।

ह0/–
(सुनील चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–III–(विधान सभा)–30/2026–4638../एम0, पटना, दिनांक–17/07/26
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना (10 प्रतियों में) को उनके पत्रांक–759, दिनांक 18.06.2026 के प्रसंग में/अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/26
सरकार के संयुक्त सचिव